

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

क्र. /१३६४/१३४ २६-२/२०१५/

भोपाल, दिनांक ५-१०-२०१५

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त
नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका / नगर परिषद, मध्यप्रदेश

विषय :— राष्ट्रीय परिवार सहायता (**NFBS**) में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— परिपत्र क्रमांक / ५४१ / २६-२ / २०१३ दिनांक 25.4.2013

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार सहायता (**NFBS**) योजनानांतर्गत पात्रता के मापदण्ड में मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम अंकित किया गया था जिसके स्थान पर निम्मानुसार पात्रता के मापदण्ड में संशोधन किया जाता है :—

“ मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है,” पढ़ा जावे।

१३४
५.१०.१५

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

1369/P.38

पुस्तक क्रमांक / 26.2.2015 /
प्राप्तिक्रिया

भोपाल, दिनांक ८.३.२०१५

1. पुस्तक के संविवेचन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. पुस्तक संचिव के संचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. अपर गुरुत्व संचिव, ग0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0 गोपाल
4. राजीवेत विभागों के अपर गुरुत्व संचिव/प्रमुख संचिव/संचिव, मध्य प्रदेश शासन, गोपाल
5. आशुका, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, ग0प्र0 गोपाल
6. आशुका, नागरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल
7. आशुका, पंचायतीराज रांचालनालय, म0प्र0 भोपाल

—१०—
८.३.१५

अवर संचिव

म0प्र0 शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग